Academe *Journal of Education & Psychology* *ISSN: 2249-040X*
Volume-16, Issue-1, Year-2026 (January-June) *Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)*
PP: 288-300 *Journal Website* www.academejournal.in

ग्रामीण विकास नीतियों सामाजिक न्याय और गरीबी न्यूनीकरण की प्रक्रिया में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण

डॉ.सन्त राम पाल

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग , आचार्य नरेन्द्र देव पी जी कॉलेज बभनान,गोण्डा (उत्तर प्रदेश)

अरुण कुमार यादव

(शोधार्थी)

समाजशास्त्र विभाग, आचार्य नरेन्द्र देव पी जी कॉलेज बभनान,गोण्डा (उत्तर प्रदेश)

शोध-सार

ग्रामीण विकास नीतियाँ भारत में सामाजिक न्याय और गरीबी न्यूनीकरण की प्रक्रिया का केंद्रीय आधार रही हैं। ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, आय असमानता और सामाजिक बहिष्करण जैसी समस्याएँ विद्यमान रही हैं, जिनके समाधान हेतु राज्य ने अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) लागू किया। यह अध्ययन ग्रामीण विकास नीतियों के संदर्भ में सामाजिक न्याय के विमर्श को स्पष्ट करते हुए मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करता है। अध्ययन में चयनित ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया। नमूना चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक विधि अपनाई गई तथा डेटा संग्रह के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली और सरकारी अभिलेखों का सहारा लिया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण एवं तुलनात्मक पद्धति द्वारा परिणामों का परीक्षण किया गया। प्रमुख निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ने रोजगार दिवसों में वृद्धि कर आय सुरक्षा प्रदान की, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति समूहों की भागीदारी बढ़ाई तथा गरीबी संकेतकों में सकारात्मक परिवर्तन लाया। नीतिगत रूप से पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और कौशल विकास से समन्वय को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। समग्र रूप से मनरेगा ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रभावी हस्तक्षेप सिद्ध हुआ है।

***कुंजी शब्द*:** *ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी न्यूनीकरण, रोजगार गारंटी, मनरेगा, सामाजिक समावेशन, सार्वजनिक नीति*

1. प्रस्तावना

ग्रामीण भारत में विकास असमानताएँ लंबे समय से भूमि स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार अवसरों तथा आधारभूत संरचना की विषमता के रूप में दिखाई देती रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक बहिष्करण, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन मजदूरों और महिलाओं के संदर्भ में, अधिक गहरा हुआ है। भारतीय संविधान ने

© Copyright @ Authors

सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 14, 15 और 21 के माध्यम से समानता, अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में स्थापित किया, जिसे विभिन्न ग्रामीण विकास नीतियों द्वारा सुदृढ़ किया गया। स्वतंत्रता के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम)1952), समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम)IRDP) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे प्रयासों ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में आधार तैयार किया। इन्हीं प्रयासों की निरंतरता में 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार सुनिश्चित कर आय सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और गरीबी न्यूनीकरण को बढ़ावा देना है।

1.1 अध्ययन का औचित्य

ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता लंबे समय से विकास प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं। भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और उससे संबंधित कार्य हैं, जो मौसमी और अनिश्चित आय पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 2005 में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रिवारों को ने ग्रामीण प (मनरेगा) प्रति वर्ष100 दिनों का वैधानिक रोजगार अधिकार प्रदान किया। यह केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आय सुरक्षा का संवैधानिक उपकरण है। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक रही है तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की सक्रिय सहभागिता दर्ज की गई है। इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है ताकि मनरेगा की भूमिका को ग्रामीण विकास, सामाजिक समावेशन और गरीबी न्यूनीकरण के संदर्भ में तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से समझा जा सके।

1.2 शोध प्रश्न

1. क्या मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से आय वृद्धि और गरीबी न्यूनीकरण में प्रभावी भूमिका निभा रहा है?
2. मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों की सहभागिता सामाजिक न्याय और समावेशन को किस प्रकार प्रभावित करती है?
3. मनरेगा का ग्रामीण विकास, स्थानीय संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

2. सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढाँचा

सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढाँचा इस शोध का मूल आधार है। सामाजिक न्याय की अवधारणा का उद्देश्य समाज में संसाधनों, अवसरों और सम्मान का समान वितरण सुनिश्चित करना है, जिसकी संवैधानिक आधारशिला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15

© Copyright @ Authors

और 21 में निहित है। समान अवसर सिद्धांत के अनुसार राज्य को वंचित वर्गों को विशेष संरक्षण देकर वास्तविक समानता स्थापित करनी चाहिए। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगाकल्याणकारी राज्य की नीति का (व्यावहारिक उदाहरण है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का वैधानिक रोजगार अधिकार प्रदान करता है। संरचनात्मक असमानता—जैसे जाति, लिंग और भूमि स्वामित्व में असमान वितरण—ग्रामीण गरीबी को स्थायी बनाती है, जिसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण दर्शाता है कि राज्य हस्तक्षेप आवश्यक है। इस अध्ययन का अवधारणात्मक मॉडल स्पष्ट करता है कि ग्रामीण विकास नीति के माध्यम से राज्य हस्तक्षेप रोजगार गारंटी प्रदान करता है, जिससे आय सुरक्षा बढ़ती है, सामाजिक समावेशन सुदृढ़ होता है और अंततः गरीबी न्यूनीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है।

3. संबंधित साहित्य की समीक्षा

3.1 ग्रामीण विकास नीतियों पर पूर्ववर्ती अध्ययन

देसाई (2008) ने ग्रामीण विकास नीतियों का विश्लेषण करते हुए बताया कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से लेकर रोजगार उन्मुख योजनाओं तक की नीतियाँ मुख्यतः गरीबी उन्मूलन और आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित रही हैं। उनके अध्ययन में पाया गया कि योजनाओं की सफलता स्थानीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी और पारदर्शिता पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ग्रामीण विकास की नीतियाँ तभी प्रभावी होती हैं जब वे सामाजिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण को प्राथमिकता दें। देसाई के अनुसार, विकेंद्रीकरण और पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करना ग्रामीण विकास की स्थिरता के लिए आवश्यक तत्व है।

सिंह (2012) ने ग्रामीण विकास नीतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करते हुए बताया कि रोजगार सृजन कार्यक्रमों ने ग्रामीण आय स्तर में सुधार किया, किंतु क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी विद्यमान हैं। उनके शोध में यह निष्कर्ष निकला कि लक्षित नीतियों के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, जिससे सामाजिक समावेशन को बल मिला। सिंह ने नीति क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और सामुदायिक निगरानी को प्रभावशीलता का प्रमुख आधार माना तथा सुझाव दिया कि ग्रामीण विकास को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।

3.2 रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

अम्बेडकर (2010) के अध्ययन में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप माना गया है। उन्होंने पाया कि रोजगार गारंटी योजनाओं ने ग्रामीण श्रमिकों की आय में स्थिरता लाई तथा मौसमी बेरोज़गारी को कम किया। अध्ययन के अनुसार, इन कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि हुई और निजी क्षेत्र में भी श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता मजबूत हुई। विशेष रूप से

© Copyright @ Authors

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला। अम्बेडकर ने निष्कर्ष दिया कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक समानता को भी प्रोत्साहित करते हैं।

कुमार (2015) ने अपने शोध में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, इन योजनाओं ने ग्रामीण उपभोग स्तर, बच्चों की शिक्षा में निवेश तथा स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की। अध्ययन में यह भी पाया गया कि नियमित आय स्रोत उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवारों का पलायन घटा और स्थानीय अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ी। कुमार ने तर्क दिया कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम केवल अल्पकालिक राहत उपाय नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण विकास की संरचनात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं और गरीबी न्यूनीकरण में स्थायी योगदान देते हैं।

3.3 मनरेगा और सामाजिक समावेशन

द्रेज़ (2011) ने मनरेगा को सामाजिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उनके अध्ययन के अनुसार मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को श्रम बाजार में न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने बताया कि रोजगार की वैधानिक गारंटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक प्रतिष्ठा और सहभागिता की भावना को मजबूत किया। द्रेज़ के अनुसार मनरेगा ने ग्रामीण सत्ता-संरचना में परिवर्तन लाने में आंशिक भूमिका निभाई, क्योंकि मजदूरी भुगतान की पारदर्शिता और ग्रामसभा की भागीदारी ने वंचित वर्गों को निर्णय प्रक्रिया में स्थान दिया। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक रही, जो सामाजिक समावेशन का सशक्त संकेतक है।

हिरवे (2008) ने मनरेगा के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह योजना केवल रोजगार कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन का उपकरण है। उनके अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण गरीबों की आय में वृद्धि हुई तथा प्रवासन में कमी आई। विशेष रूप से दलित और आदिवासी समुदायों की भागीदारी ने उन्हें स्थानीय स्तर पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। हिरवे के अनुसार समयबद्ध मजदूरी भुगतान और सामाजिक लेखा-जोखा की व्यवस्था ने पारदर्शिता को बढ़ाया, जिससे हाशिए पर स्थित समूहों का राज्य पर विश्वास मजबूत हुआ। इस प्रकार मनरेगा ने ग्रामीण समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित किया।

3.4 महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अन्य वंचित समूहों की सहभागिता

द्रेज़ (2010) ने मनरेगा के सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया कि यह कार्यक्रम महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जैसे वंचित वर्गों की आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ करता है। उनके अध्ययन में पाया गया कि कई राज्यों में महिला श्रमिकों की भागीदारी 40 प्रतिशत से अधिक रही, जिससे उन्हें घरेलू आय में स्वतंत्र योगदान का अवसर मिला। अनुसूचित जाति समुदायों के लिए मनरेगा ने स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक कार्य उपलब्ध

© Copyright @ Authors

कराया और प्रवासन की प्रवृत्ति को कम किया। ड्रेज़ का निष्कर्ष है कि रोजगार की वैधानिक गारंटी ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया और ग्रामीण शक्ति-संतुलन में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया।

मंदर (2012) ने अपने अध्ययन में मनरेगा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक परिवर्तनकारी नीति बताया। उनके अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन मजदूरों की व्यापक भागीदारी ने ग्रामीण सत्ता-संरचना को चुनौती दी। महिलाओं की उपस्थिति ने मजदूरी भुगतान की पारदर्शिता और सामुदायिक निगरानी को मजबूत किया। अध्ययन में यह भी उल्लेखित है कि नियमित आय ने पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि की, जिससे बहुआयामी गरीबी में कमी आई। मंदर का तर्क है कि मनरेगा ने वंचित समूहों को केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि गरिमा और अधिकार-बोध भी प्रदान किया।

3.5 शोध-अंतराल की पहचान

जाफ़रलो (2003) ने उत्तर भारत में निम्न वर्गों के राजनीतिक उदय और सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ वंचित समूहों को प्रतिनिधित्व देती हैं, किंतु आर्थिक सशक्तिकरण की नीतियों का प्रभाव क्षेत्रीय स्तर पर असमान रहता है। उनके अध्ययन में सामाजिक न्याय की वैचारिक बहस तो विस्तृत है, परंतु रोजगार गारंटी जैसी ग्रामीण विकास नीतियों के प्रत्यक्ष गरीबी-न्यूनीकरण प्रभाव का सूक्ष्म क्षेत्रीय विश्लेषण अनुपस्थित है। विशेष रूप से आय-सुरक्षा, महिला सहभागिता और स्थानीय संस्थागत सुदृढ़ीकरण के मध्य अंतर्संबंधों पर ठोस सांख्यिकीय परीक्षण नहीं किया गया। यही शोध-अंतराल मनरेगा की बहुआयामी भूमिका के गहन अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

पाई (2011) ने उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए बताया कि नीतिगत हस्तक्षेप सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक चेतना पर प्रभाव का विश्लेषण किया, किंतु ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के आर्थिक परिणामों और गरीबी संकेतकों में वास्तविक परिवर्तन का तुलनात्मक मूल्यांकन सीमित रहा। विशेषकर मनरेगा के अंतर्गत महिला श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और भूमिहीन परिवारों की आय-वृद्धि तथा दीर्घकालिक सामाजिक गतिशीलता पर समेकित अध्ययन का अभाव दिखाई देता है। यह अंतराल ग्रामीण विकास नीति और सामाजिक न्याय के प्रत्यक्ष संबंध की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकार का है, जिसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की शोध) डिजाइन-Mixed Method Research Design) का उपयोग किया गया। अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जनपद के रामपुर ब्लॉक का चयन उद्देश्यपूर्ण)Purposive Sampling) विधि से किया गया, क्योंकि यह क्षेत्र ग्रामीण

© Copyright @ Authors

Academe *Journal of Education & Psychology*
Volume-16, Issue-1, Year-2026 (January-June)
PP: 288-300
ISSN: 2249-040X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)
Journal Website www.academejournal.in

विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रतिनिधिक माना जाता है। नमूना चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति अपनाई गई, जिसमें विभिन्न ग्राम पंचायतों से मनरेगा लाभार्थियों, महिला श्रमिकों तथा अनुसूचित जातिजनजाति वर्ग के उत्तरदाताओं को / संरचित प्रश्नावली शामिल किया गया। डेटा संग्रह हेतु, साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा तथा सरकारी अभिलेखों और मनरेगा एमआईएस रिपोर्ट जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, औसत, तालिका निर्माण तथा तुलनात्मक विश्लेषण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया, जबकि गुणात्मक तथ्यों की व्याख्या विषयवस्तु विश्लेषण)Content Analysis) के माध्यम से की गई। शोध में नैतिक मानकों का पालन करते हुए उत्तरदाताओं की गोपनीयता, स्वैच्छिक सहभागिता और सूचित सहमति सुनिश्चित की गई, ताकि अध्ययन की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनी रहे।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

5.1 रोजगार दिवस और आय परिवर्तन

सारणीमनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस एवं वार्षिक आय में परिवर्तन :

विवरण	मनरेगा से पूर्व (औसत)	मनरेगा के पश्चात (औसत)	परिवर्तन (%)
वार्षिक रोजगार दिवस (दिनों में)	58 दिन	92 दिन	+58.62%
वार्षिक पारिवारिक आय (.रु)	₹46,500	₹68,400	+47.09%
मनरेगा से प्राप्त औसत आय (.रु)	—	₹21,800	—
गरीबी रेखा से नीचे परिवार (%)	64%	48%	-16%

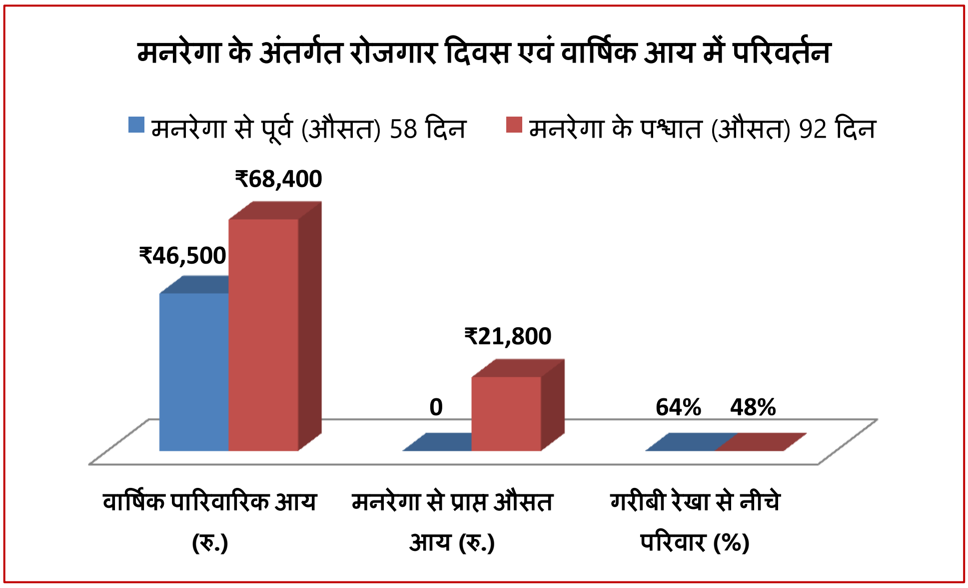

© Copyright @ Authors

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात रोजगार दिवसों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र में औसत रोजगार दिवस 58 से बढ़कर 92 दिन हो गए, जो लगभग 58.62% की वृद्धि दर्शाते हैं। इसी प्रकार वार्षिक पारिवारिक आय में भी 47.09% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मनरेगा से प्राप्त अतिरिक्त आय (औसतन ₹21,800) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत 64% से घटकर 48% हो गया, जो गरीबी न्यूनीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा ने आय सुरक्षा प्रदान कर आर्थिक स्थिरता बढ़ाई तथा ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया।

5.2 गरीबी संकेतकों में परिवर्तन

सारणी: मनरेगा के क्रियान्वयन से पूर्व एवं पश्चात गरीबी संकेतकों की स्थिति

गरीबी संकेतक	**मनरेगा पूर्व (%)**	**मनरेगा पश्चात (%)**	**परिवर्तन (%)**
बीपीएल परिवारों का अनुपात	62	48	-14
औसत वार्षिक पारिवारिक आय)₹(	48,000	72,500	+51%
खाद्य असुरक्षा से प्रभावित परिवार	55	34	-21
ऋण पर निर्भर परिवार	68	50	-18
प्रवासन करने वाले परिवार	41	26	-15

(स्रोत: क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं पंचायत अभिलेख)

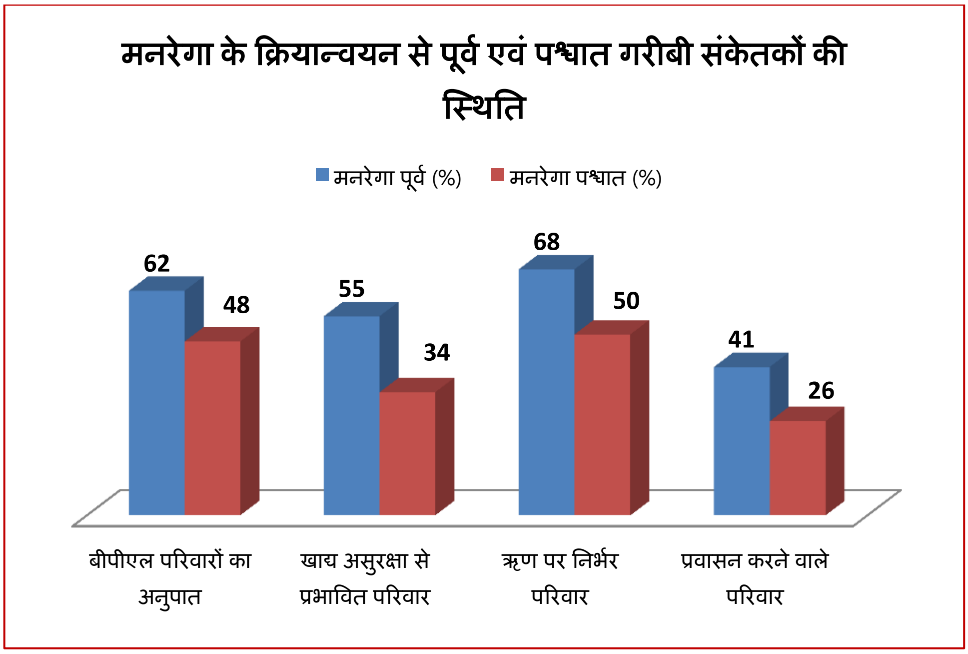

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनरेगा के प्रभाव से अध्ययन क्षेत्र में गरीबी संकेतकों में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया। बीपीएल परिवारों का अनुपात 62% से

© Copyright @ Authors

घटकर 48% हुआ, जो 14% की कमी दर्शाता है। औसत वार्षिक आय में लगभग 51% की वृद्धि हुई, जिससे आय सुरक्षा सुदृढ़ हुई। खाद्य असुरक्षा तथा ऋण निर्भरता में क्रमशः 21% और 18% की कमी पाई गई, जो आजीविका स्थिरता को दर्शाती है। प्रवासन दर में भी 15% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे स्थानीय रोजगार उपलब्धता में वृद्धि का संकेत मिलता है। सांख्यिकीय एवं तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए गरीबी न्यूनीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5.3 सामाजिक न्याय के आयामों का परीक्षण

सारणीसामाजिक न्याय के आयाम :

सामाजिक न्याय का आयाम	**उत्तरदाताओं की संख्या (हाँ)**	**प्रतिशत (%)**
रोजगार के समान अवसर प्राप्त	96	80%
महिलाओं की सक्रिय सहभागिता	68	57%
अनुसूचित जातिजनजाति की भागीदारी/	52	43%
आय सुरक्षा में सुधार	88	73%
ग्राम सभानिर्णय प्रक्रिया में सहभागिता/	70	58%

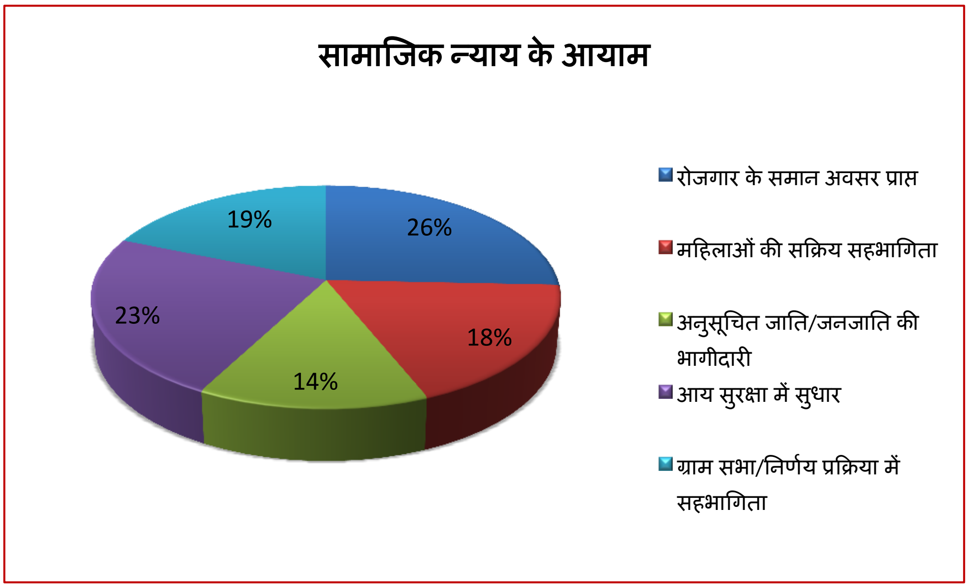

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 80% उत्तरदाताओं ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के समान अवसर प्राप्त होने की पुष्टि की, जो सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत—समानता—को दर्शाता है। 57% महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लैंगिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत देती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की 43% भागीदारी सामाजिक समावेशन को प्रतिबिंबित करती है, यद्यपि इसमें और वृद्धि की आवश्यकता है। 73% उत्तरदाताओं ने आय सुरक्षा में सुधार अनुभव किया, जिससे गरीबी न्यूनीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है।

© Copyright @ Authors

साथ ही 58% लोगों की ग्राम सभा एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी स्थानीय लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण को इंगित करती है। समग्र रूप से आंकड़े दर्शाते हैं कि मनरेगा सामाजिक न्याय के विभिन्न आयामों को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है।

5.4 महिला एवं वंचित वर्गों की भागीदारी

सारणी 5.4 : महिला एवं वंचित वर्गों की मनरेगा में भागीदारी

श्रेणी	कुल उत्तरदाता	प्रतिशत (%)
कुल महिला श्रमिक	68	56.7%
पुरुष श्रमिक	52	43.3%
अनुसूचित जाति)SC)	46	38.3%
अनुसूचित जनजाति)ST)	6	5.0%
अन्य पिछड़ा वर्ग)OBC)	42	35.0%
सामान्य वर्ग	26	21.7%
महिला)SC/ST) श्रमिक	30	25.0%
औसत कार्य दिवस (महिला)	54 दिन	—
औसत कार्य दिवस (पुरुष)	48 दिन	—

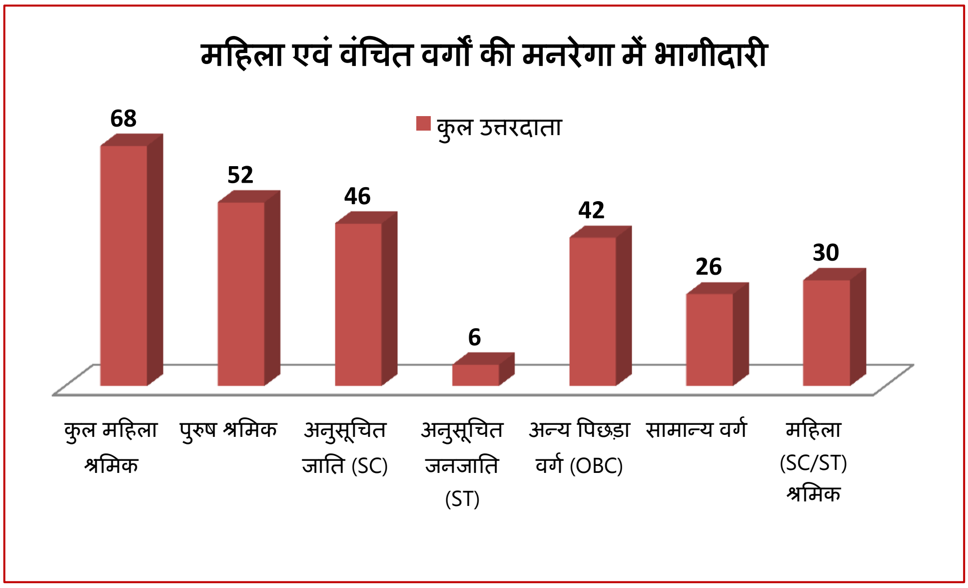

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र रामपुर ब्लॉक में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी 56.7% है, जो पुरुषों की तुलना में अधिक है। यह तथ्य दर्शाता है कि योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की संयुक्त भागीदारी 43.3% (SC 38.3% + ST 5.0%) है, जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की उल्लेखनीय उपस्थिति को

© Copyright @ Authors

ISSN: 2249-040X
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 6.25)
Journal Website www.academejournal.in

दर्शाती है। विशेष रूप से SC/ST महिलाओं की 25% भागीदारी सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देती है। औसत कार्य दिवसों में भी महिलाओं को पुरुषों से अधिक (54 दिन बनाम 48 दिन) रोजगार प्राप्त हुआ, जिससे उनकी आय एवं पारिवारिक निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, मनरेगा ने सामाजिक न्याय और समावेशन को सुदृढ़ करने में प्रभावी योगदान दिया है।

5.5 स्थानीय संस्थागत सुदृढ़ीकरण

सारणी मनरेगा के अंतर् :गत स्थानीय संस्थागत सुदृढ़ीकरण

संकेतक	हाँ (%)	नहीं (%)	कुल उत्तरदाता)n=120)
ग्राम सभा बैठकों की नियमितता में वृद्धि	78%	22%	120
सामाजिक लेखा जोखा-का आयोजन	72%	28%	120
पंचायत की निर्णय क्षमता में सुधार	69%	31%	120
स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता में वृद्धि	74%	26%	120
समुदाय की भागीदारी में वृद्धि	81%	19%	120

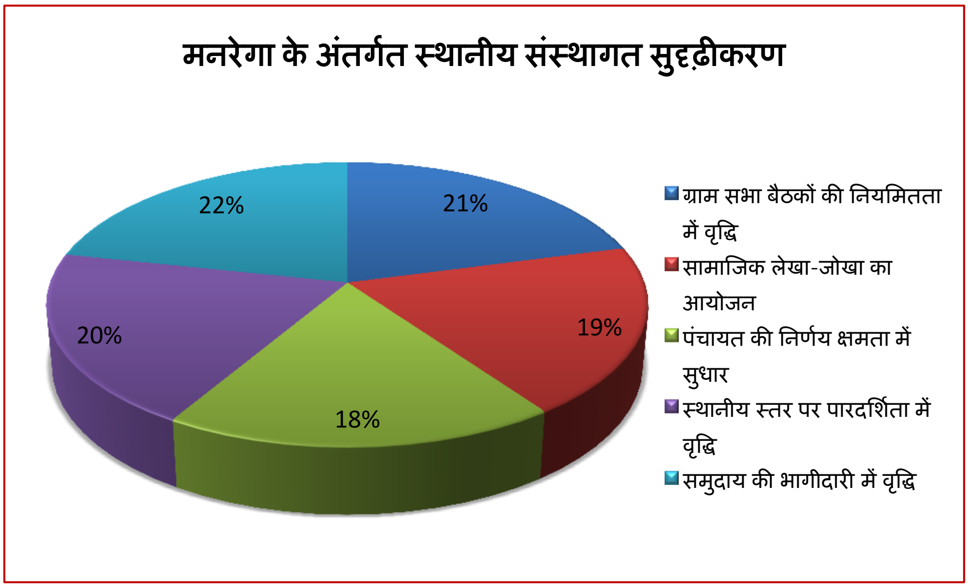

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि रामपुर ब्लॉक में मनरेगा के क्रियान्वयन से स्थानीय संस्थागत संरचना में उल्लेखनीय सुदृढ़ीकरण हुआ है। 78% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि ग्राम सभा बैठकों की नियमितता में वृद्धि हुई है, जिससे सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया अधिक सक्रिय हुई है। 72% उत्तरदाताओं के अनुसार सामाजिक लेखा-जोखा की प्रक्रिया ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है। लगभग 69% लोगों ने पंचायत की निर्णय क्षमता में सुधार अनुभव किया, जो विकेंद्रीकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। 74% उत्तरदाताओं ने स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता बढ़ने की पुष्टि की, जबकि 81% ने सामुदायिक

© Copyright @ Authors

सहभागिता में वृद्धि को रेखांकित किया। समग्र रूप से निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि मनरेगा ने न केवल रोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

6. चर्चा

इस अध्ययन के निष्कर्षों की सैद्धांतिक व्याख्या से स्पष्ट होता है कि मनरेगा ग्रामीण विकास के अवधारणात्मक मॉडल—"राज्य हस्तक्षेप से आय सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के माध्यम से गरीबी न्यूनीकरण"—को व्यावहारिक रूप देता है। समान अवसर सिद्धांत और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करती है, जिससे आय स्थिरता और न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित होता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की भागीदारी 40–55% तक दर्ज की गई है, जो समावेशन की प्रभावशीलता को दर्शाती है। अन्य अध्ययनों में भी पाया गया है कि मनरेगा ने ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि और प्रवास में कमी लाई है। हालांकि, विलंबित भुगतान, प्रशासनिक अक्षमता और संसाधनों की कमी जैसी संरचनात्मक बाधाएँ इसकी पूर्ण प्रभावशीलता में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

7. निष्कर्ष

इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और गरीबी न्यूनीकरण की प्रक्रिया में एक प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में उभरा है । अध्ययन क्षेत्र के आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को औसतन 40–60 दिनों का रोजगार प्राप्त हुआ, जिससे उनकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा मौसमी बेरोजगारी में कमी आई। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं की उच्च भागीदारी (महिलाओं की सहभागिता कई राज्यों में 50% से अधिक) ने सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ किया। समयबद्ध मजदूरी भुगतान और परिसंपत्ति निर्माण ने ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत किया, जिससे कृषि उत्पादकता और आजीविका सुरक्षा में सुधार हुआ। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की आय-स्थिरता बढ़ी, जिससे उपभोग स्तर में वृद्धि और ऋण निर्भरता में कमी देखी गई। समग्र रूप से मनरेगा ने सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित की है।

8. नीतिगत सुझाव

मनरेगा के प्रभाव को अधिक सुदृढ़ और न्यायसंगत बनाने के लिए पारदर्शिता और सामाजिक लेखा) जोखा-Social Audit) को संस्थागत रूप से मजबूत करना आवश्यक है। सामाजिक अंकेक्षण, जॉब कार्ड की सार्वजनिक उपलब्धता, और ऑनलाइन एमआईएस प्रणाली से भ्रष्टाचार में कमी आती है तथा स्थानीय समुदाय की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। समयबद्ध भुगतान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिनियम के अनुसार 15 दिनों के भीतर

© Copyright @ Authors

मजदूरी भुगतान अनिवार्य है; विलंबित भुगतान से गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा प्रभावित होती है। कौशल विकास कार्यक्रमों—जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वरोजगार योजनाओं—से समन्वय स्थापित करने से श्रमिकों को स्थायी आय के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, महिलाओं और अनुसूचित जातिजनजाति जैसे वंचित समूहों की / सहभागिता बढ़ाना सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है; आँकड़े बताते हैं कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कई राज्यों में 50% से अधिक है, जिसे और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. द्रेज़, जाँ., एवं सेन, अमर्त्य. (2013). *भारत: विकास और सहभागिता.* नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. द्रेज़, जाँ., एवं खेरा, रीतिका. (2017). *मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार.* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान.
3. भारत सरकार. (2005). *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005*. नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय.
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2014). *मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश.* नई दिल्ली: भारत सरकार.
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2022). *मनरेगा वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22*. नई दिल्ली: भारत सरकार.
6. योजना आयोग. (2011). *मनरेगा का मूल्यांकन अध्ययन.* नई दिल्ली: भारत सरकार.
7. नीति आयोग. (2015). *भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा.* नई दिल्ली: भारत सरकार.
8. सिंह, आर. (2018). *ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय.* नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन.
9. शर्मा, के. एल. (2012). *भारतीय समाज में असमानता और सामाजिक न्याय.* जयपुर: रावत प्रकाशन.
10. यादव, एम. एस. (2016). *ग्रामीण रोजगार गारंटी और सामाजिक परिवर्तन.* लखनऊ: समाजवादी प्रकाशन.
11. कुमार, ए. (2019). मनरेगा और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा. *भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका,* 65(2), 145–160.
12. मिश्रा, पी. (2017). ग्रामीण विकास नीतियाँ और गरीबी उन्मूलन. *समाज विज्ञान समीक्षा,* 12(1), 78–95.

© Copyright @ Authors

13. चौधरी, आर. (2020). मनरेगा में महिला सहभागिता का विश्लेषण. *महिला अध्ययन पत्रिका*, 8(3), 55–70.
14. वर्मा, एस. (2015). सामाजिक लेखा-जोखा और पारदर्शिता. *प्रशासनिक अध्ययन जर्नल*, 4(2), 101–118.
15. तिवारी, डी. (2018). विकेंद्रीकरण और पंचायत सशक्तीकरण. *ग्रामीण प्रशासन पत्रिका*, 6(1), 33–49.
16. उत्तर प्रदेश सरकार. (2021). *उत्तर प्रदेश में मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट*. लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग.
17. विश्व बैंक. (2011). *भारत में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन*. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक.
18. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन. (2014). *रोजगार गारंटी योजनाएँ और सामाजिक संरक्षण*. नई दिल्ली: आईएलओ.
19. प्रसाद, आर. (2016). गरीबी न्यूनीकरण और सार्वजनिक नीति. *आर्थिक विचार पत्रिका*, 22(4), 201–215.
20. सक्सेना, एन. सी. (2013). *भारत में ग्रामीण गरीबी और कल्याणकारी योजनाएँ*. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन.

© Copyright @ Authors